न्यायालय उपखण्ड अधिकारी सांचौर, जिला–सांचौर

पीठासीन अधिकारी :– श्री प्रमोद कुमार (आर.ए.एस)
राजस्व वाद संख्या :– 25/2025
जी.सी.एम.एस. नंबर :– 2025/318
अनवान

1. सुधांसु विश्नोई पुत्र पुनमाराम जाति विश्नोई निवारी बी.ढ़ाणी तहरील सांचौर, जिला जालोर

प्रार्थी...........

1. तहसीलदार (भूमिधारी), सांचौर, तहसील– सांचौर, जिला– जालोर (राज.)।

अप्रार्थी...........

प्रार्थना–पत्र बाबत् रेकर्ड दुरूस्ती करने अन्तर्गत धारा 136 राजस्थान भू–राजस्व अधिनियम 1956

तारीख रजु :– 18.12.2025

उपस्थिति :–

1. प्रार्थी की ओर से प्राथी स्वयं उपस्थित।
2. अप्रार्थी सं. 1 की ओर से तहसीलदार उपस्थित।

–: निर्णय :–

दिनांकः– 06.01.2026

1. संक्षिप्त में प्रार्थना–पत्र के तथ्य इस प्रकार है कि है कि मुझ प्रार्थी सुधांसु विश्नोई की पुश्तैनी खातेदारी कृषि भूमि मौजा लाछड़ी, पटवार हल्का– हाड़ेतर, तहसील सांचौर के खेत खाता संख्या 4 मे खसरा संख्या 444/247 रकबा 1.28 हैक्टेयर, खसरा संख्या 445/248 रकबा 0.86 हैक्टेयर व मौजा सांचौर पटवार हल्का सांचौर के खसरा संख्या 3896/2484 रकबा 0.88 हेक्टेयर भूमि राजस्व रिकॉर्ड मे दर्जसुदा है। जिसमे मुझ प्रार्थी का हिस्सा 1/3 है। तथा जमाबंदी में मेरा नाम हनुमानसिंह पुत्र पूनमाराम दर्ज है। जबकि मेरा वास्तविक नाम सुधांसु विश्नोई पुत्र पुनमाराम दर्ज है। नाम सम्बन्धी दस्तावेज अवलोकनार्थ साथ सलंग्न है। अतः श्रीमानजी से प्रार्थना–पत्र मय शपथ–पत्र पेश कर निवेदन है कि मुझ प्रार्थी का प्रार्थना–पत्र अन्तर्गत धारा 136 राजस्थान भू–राजस्व अधिनियम 1956 के अनुसार स्वीकार फरमाकर मौजा लाछड़ी पटवार हल्का– हाड़ेतर, तहसील सांचौर के खेत खाता संख्या 4 मे खसरा संख्या 444/247 रकबा 1.28 हैक्टेयर, खसरा संख्या 445/248 रकबा 0.86 हैक्टेयर व मौजा सांचौर पटवार हल्का सांचौर के खसरा संख्या 3896/2484 रकबा 0.88 हेक्टेयर में वर्णित राजस्व रिकॉर्ड मे हनुमानसिंह पुत्र पूनमाराम की जगह सुधांसु विश्नोई पुत्र पुनमाराम नाम की लिपिकीय त्रुटि को दुरस्त किये जाने का आदेश देने का श्रम करावे।
2. प्रार्थी का प्रार्थना–पत्र बाद कार्यालय टिप्पणी दर्ज रजिस्टर किया गया। अप्रार्थी सं. 1 की ओर से तहसीलदार सांचौर उपस्थित।

Signature Not Verified
Digitally signed by Pramod Kumar
Date: 2026.01.22 11:45:19 IST
Reason: SelfAttested

उपखण्ड अधिकारी
सांचौर

3. अप्रार्थी संख्या 1 की ओर से पटवारी हाड़ेतर से जांच करवाई गई। जांच रिपोर्ट अनुसार मौजा लाछड़ी, पटवार हल्का– हाड़ेतर, तहसील सांचौर के खेत खाता संख्या 4 मे खसरा संख्या 444/247 रकबा 1.28 हैक्टेयर व खसरा संख्या 445/248 रकबा 0.86 हैक्टेयर में वर्णित राजस्व रिकॉर्ड मे हनुमानसिंह पुत्र पूनमाराम की जगह सुधांसु विश्नोई पुत्र पुनमाराम नाम की लिपिकीय त्रुटि को दुरस्त किया जाने पर कोई आपत्ति नहीं जताई।

4. हमने पत्रावली एवं उस पर उपलब्ध दस्तावेजात् का भली भांति अध्ययन व अवलोकन किया गया। प्रार्थी द्वारा उक्त प्रार्थना पत्र के साथ आधार कार्ड, राशन कार्ड, नाम संशोधन का गजट सलंग्न किया जिसका अवलोकन किया, उक्त अवलोकन से स्पष्ट है कि उक्त तमाम दस्तावेजात् के अनुसार प्रार्थी का नाम हनुमानसिंह पुत्र पूनमाराम की जगह **सुधांसु विश्नोई पुत्र पुनमाराम** बदला जाना उचित प्रतीत होने से प्रार्थी का प्रार्थना–पत्र स्वीकार योग्य होने से स्वीकार किया जाता है।

–:आदेशः–

अतः उपर्युक्त विवेचन एवं विश्लेषण से निष्कर्षतः प्रार्थना–पत्र प्रार्थी अन्तर्गत धारा 136 राजस्थान भू–राजस्व अधिनियम स्वीकार किया जाकर तहसीलदार सांचौर को आदेशित किया जाता है कि सरहद मौजा लाछड़ी, पटवार हल्का– हाड़ेतर, तहसील सांचौर के खेत खाता संख्या 4 मे खसरा संख्या 444/247 रकबा 1.28 हैक्टेयर, खसरा संख्या 445/248 रकबा 0.86 हैक्टेयर व मौजा सांचौर पटवार हल्का सांचौर के खसरा संख्या 3896/2484 रकबा 0.88 हेक्टेयर में वर्णित राजस्व रिकॉर्ड मे हनुमानसिंह पुत्र पूनमाराम की जगह **सुधांसु विश्नोई पुत्र पुनमाराम** के नाम की राजस्व रेकर्ड में इन्द्राज दुरूस्ती की जावें। पालनार्थ तहसीलदार सांचौर को तहरीर जारी हो।

(प्रमोद कुमार, आर.ए.एस.)
उपखण्ड अधिकारी सांचौर

उपखण्ड अधिकारी
सांचौर

निर्णय आज दिनांक **06.01.2026** को सर–ए–इजलास सुनाया गया।

उपखण्ड अधिकारी

Signature Not Verified

Digitally signed by Pramod Kumar
Date: 2026.01.22 11:45:19 IST
Reason: SelfAttested